

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ जिला भीलवाडा(राज0)

प्रकरण संख्या 197/2017 D.N. 447

मदनसिं. रामकाण धामर बनाम  
विपक्षी तह. माण्डलगढ  
- पार्थी

1. कलशसिं देवी दोगा वि. कलशसिं तह. माण्डलगढ
2. भाग्यसिं. दगना धामर
3. मोहनसिं. काना धामर
4. जगदीशसिं. रतना धामर

प्रार्थनापत्र-अन्तर्गत धारा 111-128 रा0ले0रे0ए0

- आदेश :-

दिनांक- 30/5/2017

प्रार्थनापत्र प्रार्थीश्री मदनसिं. रामकाण धामर वि. कलशसिं ने जरिये अभिभाषक श्री संदीप शाहा एडवोकेट ने प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम काहोला प0ह0 काहोला तह0 माण्डलगढ में आराजीन0 2525, 2526/2, 2726/2525

किता 3 रकबा 6 बीघा 00 बिस्वा भूमि स्थित है। विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा फिसाद करते है। अतःपत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ मे प्रार्थनापत्र की ताईद मे शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया, प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।


पत्रावली मे संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2071-74 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार/गैरखातेदार काश्तकार है। पडौसियान के विवाद करने बाबत शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर काई विपरीत प्रभाव नही पडता है।

अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0ले0रे0एक्ट स्वीकार किया जाकर ग्राम काहोला की आराजी न0 2525, 2526/2, 2726/2525

रकबा 6 बीघा 00 बिस्वा 300 की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढी किये जाने के आदश दिये जाते है। भू-अभिलेख निरीक्षक को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस 300/रूपये वक्त पत्थरगढी प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। एवं पत्थरगढी की शुल्क राशि 100/रूपये राजकोष मे जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार, माण्डलगढ को लिखा जावे।

प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी  
माण्डलगढ  
माण्डलगढ.